आयुक्त चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

E-Mail Id - dme12001@yahoo.com

क्रमांक 3700 / 2 / योवि. / 2017 भोपाल, दिनांक 03 / ~~सितम्बर~~ 10 / 2017

प्रति,

1. अधिष्ठाता
   चिकित्सा महाविद्यालय
   भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर ।
2. संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक,
   चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालय
   भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा ।
3. अधीक्षक,
   चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय / मानसिक चिकित्सालय , इन्दौर
4. अधीक्षक,
   सुल्तानिया महिला चिकित्सालय, भोपाल
5. अधीक्षक,
   कैंसर चिकित्सालय, इन्दौर, जबलपुर
6. प्राचार्य,
   दंत चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर
7. संचालक,
   मानसिक आरोग्यशाला , ग्वालियर

विषय :— संचालक, चिकित्सा शिक्षा के अधीन संस्थाओं द्वारा सीधे भारत शासन / राज्य शासन से पत्राचार के संबंध में।

——00——

उपरोक्त विषय के तारतम्य में लेख है कि विगत माहों में. यह देखने में आया है कि संस्थानों पर अपने प्रस्तावों को संचालनालय के अभिमत / अनुशंसा के बिना राज्य शासन / भारत शासन को सीधे प्रेषित किया गया है, जो शासकीय कार्य प्रक्रिया के अनुसार उचित नही है।

उक्त प्रकरणों पर केन्द्र / राज्य शासन से वापस संचालनालय के अभिमत / कार्यवाही हेतु प्रेषित किये जाने में जहां अनावश्यक समय का अपव्यय होता है, वहीं जनोम्मुखी योजनाओं के कियान्वयन में विलम्ब भी होता है। ऐसी योजनाओं / कार्यवाही हेतु आवश्यक वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित किये बिना निर्णय हो जाने से विषम परिस्थितियां भी निर्मित हो रही है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि शासकीय कार्य प्रकिया के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करें, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

उक्त आदेश को अपने अधीनस्थ समस्त विभागध्यक्षो को नोट करावे व कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

29/9/17

आयुक्त
चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

106 Letter

पृ0क्रमांक 3701 / 2 / योवि / 2017 भोपाल, दिनांक 03 / ~~सितम्बर~~ 10 / 2017

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय मध्यप्रदेश ।
2. संचालक, चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश मुख्यालय की ओर सूचनार्थ / पालनार्थ ।
3. समस्त विभागाध्यक्ष मुख्यालय भोपाल ।
4. संयुक्त संचालक (वित्त), चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश मुख्यालय की ओर सूचनार्थ / पालनार्थ ।

आयुक्त
चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश